संख्या–769/04/07/XIV–2/2007

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सहायक गन्ना आयुक्त,
हरिद्वार/देहरादून/ऊधमसिंहनगर ।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 5 दिसम्बर, 2007

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु अनुदान संख्या–17 में आयोजनागत पक्ष की जिला योजनान्तर्गत अंशदायी आधार पर अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति (शासनादेश संख्या 405/रा0यो0आ0/जि0यो0/2007–08 दिनांक 13.11.2007 के क्रम में)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के आयोजनागत पक्ष की जिला योजना में सामान्य मद हेतु "अंशदायी आधार पर अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना" के अन्तर्गत रू0 1,70,79,000.00 (एक करोड़ सत्तर लाख उन्नासी हजार रुपये मात्र) जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित है, को निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

2) समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जारी करेंगे। रू0 पचास लाख की सीमा तक की जिला सेक्टर की योजनाओं की स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर पर तथा उससे अधिक धनराशि वाली योजनाओं की स्वीकृति मण्डलायुक्त स्तर पर जारी की जाएगी।

3) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से एवं अधिक व्यय न किया जाए।

4) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराने तथा विभिन्न अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण के कार्यों के आगणन का जनपद/मण्डल स्तर पर विभिन्न विभागों के अभियन्ताओं के पैनल से तकनीकी परीक्षण कराने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल रेट के आधार पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी।

5) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय तभी किया जाए जब सम्बन्धित योजना में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा परिव्यय अनुमोदित करा लिया जाए।

6) स्वीकृत धनराशि केवल चालू एवं पूर्व अनुमोदित कार्यों/मदों पर ही तथा निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जाए तथा किसी ऐसे कार्य/मद पर धनराशि व्यय न की जाए जो योजना में स्वीकृत नहीं है।

7) जिला/मण्डल स्तर पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने, स्वीकृति/व्यय की प्रगति का संकलन, नियमित अनुश्रवण एवम् प्रगति विवरण संबंधी समस्त प्रक्रिया में अर्थ एवम् संख्या विभाग के जिला/मण्डल स्तरीय अधिकारी तत्संबंधी पत्रावली सीधे जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

8) जिला एवम् मण्डल स्तर पर संचालित विकास कार्यों का नियमित अनुश्रवण–मूल्यांकन एवम् स्थलीय सत्यापन के लिए टास्कफोर्स गठित कर सत्यापन कार्य जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त सुनिश्चित करायेंगे।

9) निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के कार्यरत अभियन्ताओं को सम्मिलित करते हुए "तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण समिति" बनायी जाए जो निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेंगी।

10) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं योजनाओं की सीमा तक ही किया जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग यदि अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनसे अनाधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

11) स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/अपर सचिव (गन्ना विकास एवम् चीनी उद्योग) उत्तराखण्ड शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें; तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्थिति की वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाए।

12) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्यों/मद पर व्यय न की जाए, जो की वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी प्रतिबन्धित हो अथवा शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न ली गयी हो, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाए।

13) जनपद नैनीताल को आवंटित धनराशि का आहरण सहायक गन्ना आयुक्त उधमसिंहनगर, कोषागार उधमसिंहनगर से करेंगे तथा सहायक गन्ना आयुक्त उधमसिंहनगर पूर्व व्यवस्था के तहत जनपद नैनीताल को आवंटित धनराशि का नियमानुसार उपयोग कराना सुनिश्चित करेंगे।

14) उक्त व्यय वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय व्ययक अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–00–108–वाणिज्यिक फसलें, 91–जिला योजना, 9102–अंशदायी आधार पर अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या– (1)/04/07/XIV–2/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।

3— जिलाधिकारी, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर।
4— गन्ना एवम् चीनी आयुक्त, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
5— कोषाधिकारी, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर।
6— वित्त अनुभाग—4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7— बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8— नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10—निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।